भूरी बनाम दुरजन प्रा.पत्र 212 सी

मि.नं. 33/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/7/22	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य मे व्यस्त है. अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/8/22 को पेश हो
29/8/22	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है, अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30.9.22 को पेश हो,
30/9/22	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य मे व्यस्त हैं, अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/11/22 को पेश हो
16/11/22	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/12/22 को पेश हो,
15/12/22	आज पत्रावली पेश हुई, पत्रावली मे 212 प्रा.पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/01/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
10/01/23	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2021 को प्रा.पत्र दर्ज रजि. किया जाकर इस प्रकार से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया था कि अप्रार्थीगण दुरजन वगै. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.07.2021 तक ख.नं. 144/0.44, 145/0.30, 472/0.47, 473/0.39 वाके ग्राम पालड़ी तह. नगर पर सायल को उसकी पैतृक आराजी से वंचित न करें, आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुंतकिल न करें। सायल को आराजी से बेदखल न करें एवं ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सायल हकतकाहलो हो। आगामी तिथि तक 08.07.2021 को रखी गई। (हस्ताक्षर) R.O.

बृजेश बनाम दुरजन प्रा.पत्र 212 P/r

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमान तहसीलदार / उपपंजीयक नागर है जिन्होंने जवाब प्रा.पत्र पेश करने से मना किया।	
	प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है, अप्रार्थी संख्या 01 दुरजनसिंह 1/2 हिस्से के खातेदार है जो कि प्रार्थी के पिता है, पैतृक आराजी है, विरासत से प्राप्त हुई, नामान्तरण संख्या 261/20.03.2006 से विरासत नामान्तरण स्वीकार हुआ है। प्रार्थी के पिता अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने कारण अपने हिस्से की आराजी को खुर्द-बुर्द कर बेचने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी को सख्त हकतल्फी होगी नुकसान अजीम होगा। जिसकी पूर्ती जरे नकद से नही होगी, अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के अंतिम निर्णय तक संपुष्ट किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कहा प्रा.पत्र सभी खसरा नम्बरान पर नही लाया है तथ्यो को छुपाकर लाये है। सभी बच्चों का बराबर का अधिकार है, प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यो पर आधारित है इसलिये प्रा.पत्र को खारिज किये जाने हेतु कृपा करें।	
	पत्रावली का समग्र अध्ययन / अवलोकन किया। तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किये जाने उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रथम दृष्टया आराजी प्रार्थी के पिता को उनके दादा से विरासत मे प्राप्त प्रतीत होती है. इस प्रकार प्रथम दृष्टया पैतृक आराजी	

[signature] PTO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बृजेश बनाम दुरजन प्रापत्र प्र० 33/21
	होने से प्रार्थी के हितो को वाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित करने को मद्देनजर रखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को संपुष्ट किया जाना चाहिये। अतः दिनांक 14.06.2021 को इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के अंतिम निस्तारण तक संपुष्ट किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
	(सुरेन्द्र प्रसाद)